न्यायालय अपील अधिकारी (प्रशासक व अति0 जिला कलक्टर) नीम का थाना

पीठासीन अधिकारी, भागीरथ शाख आर.ए.एस.

पत्रावली संख्याः 18/2025/प्रथम अपील

अशोक कुमार चौहरिया, वार्ड नम्बर 24, छावनी, नीम का थाना, जिला सीकर राज0।

अपीलान्ट

बनाम

लोक सूचना अधिकारी (आयुक्त नगर परिषद/नगरपालिका) नीम का थाना।

रेस्पोडेन्ट

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा–19(1) के अन्तर्गत प्रथम अपील

निर्णय

दिनांकः 11 अगस्त, 2025

1. यह अपील अपीलार्थी **अशोक कुमार चौहरिया** द्वारा लोक सूचना अधिकारी (आयुक्त नगर परिषद/नगरपालिका) नीम का थाना से सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 6(1) के अन्तर्गत प्रस्तुत आवेदन पत्र के अनुसार चाही गयी सूचना अपीलार्थी को उपलब्ध नहीं करवाने पर पेश की गई है।

2. अपील प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को सुनवाई हेतु नोटिस जारी किया जाकर अपील के संबंध में तथ्यात्मक रिपोर्ट चाही गई।

3. आवेदक द्वारा दिनांक **28.05.2025** से निम्नलिखित सूचनाएं चाही गई हैं:–

   (1) नगर परिषद नीम का थाना जिला सीकर राज0 में खांचा जमीन वर्तमान में है उनकी संख्या क्षैत्रफल और पड़ौस का विवरण सहित।

   (2) वर्ष 2014 से 31 अप्रैल 2025 तक श्रीमान सूचना आयुक्त महोदय जयपुर राज0 में नगर परिषद नीम का थाना जिला सीकर राज0 ने अधिवक्ता को अपनी ओर से पैरवी के लिए कितनी राशि का भुगतान किस मद से किया गया। प्रत्येक सूचना हस्तान्तरित व काय्रलय की मोहरयुक्त व प्रमाणित प्रतिलिपियों के रूप में उपलब्ध कराई जावे।

भागीरथ शाख
अति० जिला कलक्टर
नीम का थाना (राज०)

4. सुनवाई के लिए नियत तिथि को अपीलार्थी उपस्थित। रेस्पोडेन्ट की ओर से कोई उपस्थित नहीं आया।

5. रेस्पोडेन्ट द्वारा अपने पत्र दिनांक 06.08.2025 से अवगत करवाया गया कि आवेदक को चाही गई सूचना प्रश्नात्मक एवं सृजन कर देने की श्रेणी में होने से लोक सूचना अधिकारी द्वारा लिये गसे विनिश्चय से कार्यालय के पत्रांक 1379 दिनांक 01.07.2025 के द्वारा सूचना जरिये पंजीकृत डाक प्रेषित की जा चुकी है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जावे।

6. हमने पत्रावली का अवलोकन किया। अपीलार्थी द्वारा अपने आवेदन में पैरा 3 के अनुसार सूचना चाही गयी। अवलोकन से स्पष्ट है कि लोक सूचना अधिकारी द्वारा अपीलान्ट को सम पत्रांक 1379 दिनांक 01.07.2025 के द्वारा पंजीकृत डाक से सूचना भिजवाई गई है, जिसके अनुसार–'' बिन्दू संख्या 01 व 02 में चाही गई सूचना प्रथम दृष्ट्या प्रश्नात्मक है तथा सृजनकर देने की श्रेणी में है जबकि सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत रिकॉर्ड की प्रतिलियिां दी जा सकती है।'' लिखा गया है अर्थात अपीलान्ट को चाही गई उपलब्ध नहीं करवाई है। चाही गई सूचनाएं किस प्रकार प्रशनात्मक एवं सृजनात्मक हैं तथा सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 की किस धारा के अन्तर्गत देय नहीं है स्पष्ट नहीं है।

7. उक्त वर्णित स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए अपील अपीलांट **स्वीकार** की जाती है। लोक सूचना अधिकारी (आयुक्त नगर परिषद/नगरपालिका) नीम का थाना को निर्देशित किया जाता है कि अपीलार्थी को चाही गई सूचनाओं की प्रमाणित प्रतिलिपि निःशुल्क जरिये रजिस्टर्ड डाक 7 दिवस में उपलब्ध करावें। निर्णय की प्रति उभय पक्षकारों को प्रेषित हो।

8. उक्त आदेश के विरुद्व, द्वितीय अपील माननीय राजस्थान सूचना आयोग झालाना लिंक रोड, ओ.टी.एस. चौराहा जे.एल.एन. मार्ग जयपुर में 90 दिवस में की जा सकती है।

11/8/25

(भागीरथ शास्त्र)
प्रथम अपील अधिकारी
प्रशासक नगर परिषद (अति० जिला कलक्टर)
नीम का थाना

भागीरथ शास्त्र
अति. जिला कलक्टर
नीम का थाना (राज.)